भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1205

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

हमीरपुर में सीएसआर

1205. श्री अजेन्द्र सिंह लोधीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेतवा और केन नदियों में रेत और पत्थर का खनन करने वाली बड़ी कंपनियाँ स्थानीय विकास कार्यों में अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का पर्याप्त निवेश नहीं कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा और बांदा जिलों में काम करने वाली कारपोरेट कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत आवंटित कुल निधि कितनी है और पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए वास्तविक व्यय का व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का बुंदेलखंड के इन पिछड़े जिलों में स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए खनन कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय की विशेष संपरीक्षा कराने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का इन कंपनियों के सहयोग से स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की कोई नीति बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड, अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यान्वय करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है।

अधिनियम की धारा 135 (5) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों, जहां वह संचालित होती है, को प्राथमिकता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर जोर प्रकृति में केवल निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। सरकार कंपनियों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या किसी विशेष कार्यकलाप के लिए खर्च करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

(ख): कारपोरेट सामाजिक दायित्व के विधिक ढांचे में निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दाखिल किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा इनको **www.csr.gov.in** पर देखा जा सकता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में किए गए वार्षिक फाइलिंगों के आधार पर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा तथा बांदा जिलों में गत तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2022-23 से 2024-25 के दौरान विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II तथा अनुलग्नक-III में संलग्न है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (ख) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	पशु कल्याण	-	0.32	-
2.	कला और संस्कृति	0.90	2.03	-
3.	शिक्षा	-	-	0.02
4.	पर्यावरणीय स्थिरता	-	-	1.01
5.	स्वास्थ्य देखभाल	0.53	-	0.08
6.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	0.03	39.66
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.08	25.41	0.13
8.	सुरक्षित पेयजल	-	-	0.01
9.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-	0.01
10.	व्यावसायिक कौशल	-	0.18	0.29
11.	महिला सशक्तिकरण	-	8.76	0.01
कुल		1.50	36.72	41.21

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-II

दिनांक 27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (ख) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के महोबा में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	0.16	-
2.	शिक्षा	0.03	0.26	1.36
3.	स्वास्थ्य देखभाल	-	0.02	-
4.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	0.05	1.23	3.68
5.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	-	0.02
6.	सुरक्षित पेयजल	0.00	-	-
कुल		0.08	1.66	5.06

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-III

दिनांक 27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (ख) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के बांदा में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	शिक्षा	0.90	0.10	0.10
2.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	2.05	2.81
3.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	0.02	0.00
कुल		0.90	2.16	2.91

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट प्रबंधन प्रकोष्ठ)
